



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2015/ आषाढ़ 15, 1937

No. 430]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2015/ ASHADHA 15, 1937

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2015

सा.का. नि. 537(अ).— भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का निस्तारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के कल्याण के लिए आयुक्त के पद का समवर्ती प्रभार धारण करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को पदभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करती है।

[फा. सं. 21/21/2002 - भोपाल सेल]

रंजना काले, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2015

G.S.R. 537(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby appoints Shri Justice Prakash Shrivastava, a sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the Victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a period of one year with effect from the date of assumption of charge of the post.

[F. No. 21/21/2002-B.Cell]

RANJANA KALE, Economic Adviser

2980 GI/2015